# कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230410, Fax No. 07453-230244

क्रमांक एफ( )एफ.सी.ए./उवस/17-18/ 10197 दिनांक :- 25/8/17

निमित्त :-

अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि.
खण्ड शाहाबाद।

विषय :- सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में कमियो की पूर्ति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज. जयपुर के प्रासंगिक पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे जिसके द्वारा बिछी रामपुर से उपरेटी सडक निर्माण हेतु प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Road/6958/2014 कुल 2.68 है0 के लिए जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में पाई गई कमियो की पूर्ति करवाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः पूर्ति कर तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने का कष्ट करें।

1. बिन्दु संख्या 3 एन.पी.वी. गणना पार्ट-I में संलग्न है इसे पार्ट-II की अतिरिक्त सूचनाओ में किया जाना प्रस्तावित है।
2. बिन्दु संख्या 4 यूजर एजेन्सी द्वारा पार्ट I की अतिरिक्त सूचनाओं में संशोधित वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है। किन्तु अतिरिक्त सूचनाओं में पुराने वनाधिकार प्रमाण पत्र को हटाया नही गया है जो प्रस्तावित है।
3. बिन्दु संख्या 5 यूजरी एजेन्सी द्वारा संलग्न KML FILE सही है किन्तु प्रस्तुत किये गये DGPS map मे कोरनर्स के जी.पी.एस. कोर्डीनेटस नही दिये गये है जो प्रस्तावित है।
4. प्रस्ताव में चाही गई सूचना का दो सैट हार्ड प्रति (एक मूल प्रति) के चाहे गये थे जो अपेक्षित है इनमें एक सैट प्रतियो के साथ एवं एक सैट फोटो प्रति जिसमें सभी दस्तावेजो पर यूजर ऐजेन्सी (वन विभाग द्वारा जारी दस्तावेजो के अतिरिक्त) वं उप वन संरक्षक, (वन विभाग द्वारा जारी एवं एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट समस्त नक्शे, जमाबन्दी राजस्व मेप आदि) पर हस्ताक्षर मय नाम, पदनाम एवं दिनांक सहित मुहर लगाया जाना प्रस्तावित है। अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है।
5. प्रस्ताव में अधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई सूचना को मूल दस्तावेज से जिसमें अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय नाम, पदनाम एवं दिनांक अंकित हो से अपलोड किया जाना प्रस्तावित है। अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है।
6. प्रस्ताव में एम.ओ.ई.एफ. लखनऊ द्वारा उनके पत्राक दिनांक 18.09.2015 से चाही गई सूचनाए अपूर्ण भिजवाई गई है। अतः अविलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।

उप वन संरक्षक
बारां

## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ), राजस्थान, जयपुर।

F 14 (Baran roads ) 2014/FCA/PCCF/CCF EDS – IV Jaipur Dated 24.7.2017

अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग शाहबाद खण्ड के द्वारा **बिछी रामपुर से उप्रेती सड़क मार्ग** के निर्माण हेतु 2.68 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Road/6958/2014 से ऑनलाइन किये गये है। मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा प्रस्ताव (बिछी रामपुर से उप्रेती सड़क मार्ग) में संशोधन कर प्रस्ताव ऑनलाईन पुनः प्रस्तुत किया गया है प्रस्ताव में एम0ओ0ई0एफ0 लखनउ भारत सरकार द्वारा पांच बिन्दुओं की सूचना चाही गई है। जिसके क्रम में प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है।

1. बिन्दु संख्या 1 :– प्रस्तुत की गई सूचना पूर्ण नही है। पार्ट I मे संलग्न क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र में कोई अतिक्रमण नही होना एवं सभी विवादों से मुक्त होना अंकित नही है। इसके अलावा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण स्थल की संलग्न KML File मे गैर वन भूमि 103.04 है0 दिया जाना अवगत कराया गया है। जबकि प्रस्ताव में मात्र 2.68 है0 गैर वन भूमि दिया जाना प्रस्तावित है। जिसका KML File पर भी उक्त क्षैत्र का अंकन किया जाना प्रस्तावित है।
2. बिन्दु संख्या 2 :– संलग्न सूचना पूर्ण नही है। संलग्न क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु योजना 166/– प्रति मानव दिवस पर आधारित है जबकि वर्तमान में श्रमिक दर जिसके अनुसार इस कार्यालय से संशोधित मॉडल अनुमोदित (201/– प्रति मा0दि0) किया गया है। अतः संशोधित क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना संलग्न की जानी प्रस्तावित है।
3. बिन्दु संख्या 3 :– एन0पी0वी0 गणना पार्ट I में संलग्न है इसे पार्ट II की अतिरिक्त सूचनाओं में संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
4. बिन्दु संख्या 4 :– यूजर ऐजेन्सी द्वारा पार्ट I की अतिरिक्त सूचनाओं में संशोधित वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है। किन्तु अतिरिक्त सूचनाओं में पुराने वनाधिकार प्रमाण पत्र को हटाया नही गया है। जो प्रस्तावित है।
5. बिन्दु संख्या 5 :– यूजर ऐजेन्सी द्वारा संलग्न KML File सही है किन्तु प्रस्तुत किये गये DGPS map में कोरनर्स के जी0पी0एस0 कोर्डीनेटस नही दिये गये है। जो प्रस्तावित है।
6. प्रस्ताव में चाही गई सूचना का दो सैट हार्ड प्रति (एक मूल प्रति) के चाहे गये थे जो अपेक्षित है इनमें एक सेट मूल प्रतियो के साथ एवं एक सेट फोटो प्रति जिसमें सभी दस्तावेजो पर यूजर ऐजेन्सी (वन विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों के अतिरिक्त) एवं उप वन संरक्षक (वन विभाग द्वारा जारी एवं एरिया केलकुलेशन रिपोर्ट समस्त नक्शे, जमाबंदी राजस्व मेप आदि) पर हस्ताक्षर मय नाम, पदनाम एवं दिनांक सहित मुहर लगाया जाना प्रस्तावित है।
7. प्रस्ताव मे अधिकृत अधिकारी द्वारा दी गई सूचना को मूल दस्तावेज से जिसमें अधिकृत अधिकारी के हसताक्षर मय नाम पदनाम एवं दिनांक अंकित हो से अपलोड किया जाना प्रस्तावित है। अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है।
8. प्रस्ताव में एम0ओ0ई0एफ लखनउ द्वारा उनके पत्रांक दिनांक 18.9.2015 से चाही गई सूचनाए 2 वर्ष उपरांत भी अपूर्ण भिजवाई गई है। अतः विलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाना प्रस्तावित है।
9. प्रस्ताव मे उप वन संरक्षक बारां यह सुनिश्चित कर लेवे कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन हुआ अथवा नही ।

सूचना भिजवाने हेतु मुख्य वन संरक्षक कोटा को निर्देशित किया जाता है।

24/7

(P.C. KUMAWAT)
DCF (FCA)
JAIPUR